। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 16 जनवरी 2017

SICOM LIMITED

सिकॉम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः सोलिटेयर कॉरपोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, गुरू हरगोविन्द जी रोड, (अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड) चकाला, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400093, फोनः (022) 66572700, वेबसाईटः www.sicomindia.com

सार्वजनिक नीलामी मय विक्रय सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता सिकॉम लिमिटेड (यहां इसे आगे सिकॉम लिमिटेड संबोधित किया गया)का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) इच्छुक पक्षों से निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है के आधार पर सिकॉम के बकायों की वसूली हेतु दिनांक 21.02.2017 को दोपहर 02:00 बजे सिकॉम के मुम्बई कार्यालय पर होने वाली सार्वजनिक नीलामी हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है। सिकॉम को संपत्ति के भौतिक कब्जे के लिये उप आयुक्त गुरूग्राम से आदेश प्राप्त हो चुका है।

ऋणियों/ जमानतदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा	दिनांक 31.12.2016 को सिकॉम की बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे
यूनिटेक लिमिटेड (ऋणी)	भूमि खेवट नं. 62, खाता नं. 92, मुस्ततिल नं. 7, किला नं. 3/2 (3-17) जिसमें 3 बीघा, 17 बिस्वा सम्मिलित तथा किला नं. 4 (3-16) जिसमें 3 बीघा 16 बिस्वा सम्मिलित कुल क्षेत्रफल 7 बीघा 13 बिस्वा अर्थात 4.78 एकड गांव टीकडी, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में स्थित।	रू. 51.70 करोड	रू. 5.20 करोड	रू. 40,49,99,786

नीलामी की नियम व शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को रू. 5.20 करोड धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर के द्वारा राष्ट्रियकृत /अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित सिकॉम लिमिटेड के पक्ष में मुम्बई पर देय जमा कराना होगा जो यदि सिकॉम द्वारा बोली सफल/स्वीकृत नही की जाती है तो लौटाने योग्य होगा।
2. प्रस्ताव जो प्रार्थित धरोहर राशि का डीडी/पे-आर्डर के साथ प्राप्त नही होती है उसे अमान्य करार दिया जाएगा तथा बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में उपस्थित रहने की आज्ञा नही दी जाएगी।
3. प्रथम उच्चतम बोलीदाता तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि को आगे की प्रक्रिया हेतु रोक लिया जाएगा तथा अन्य उच्चतम बोलीदाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात लौटा दिया जाएगा। बोली रू. 1 लाख की राशि के गुणक मे होनी चाहिए।
4. संपत्तियां उपरोक्त वर्णित आरक्षित मुल्य से कम पर नही बेची जाएगी।
5. संपत्तियां जहां है जैसी है तथा जो है जैसी है के आधार पर बेची जा रही है।
6. नीलामी बिक्री विक्रय की सामान्य नियमों व शर्तो के आधार पर होगी। जिसकी प्रति बोलीदाताओं द्वारा सिकॉम लिमिटेड दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यहां तक की यदि बोलीदाता इसकी प्रति प्राप्त नही करता है तो यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने इसे प्राप्त कर लिया है, समझ लिया है, जांच लिया है तथा स्वीकृत कर लिया है।
7. सफलतम बोलीदाता खर्चे/शुल्क जो परिवहन, मुद्रण शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अधिवक्ता के खर्चे, सोसाईटी के खर्चे तथा समस्त लागतों एवं खर्चों इत्यादि जो कि विधि द्वारा लागु किये जाते है को वहन करेगा।
8. प्राधिकृत अधिकारी की उत्तम जानकारी के अनुसार संपत्तियो पर कोई अन्य प्रभार नही है प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी खर्चे, गिरवी, प्रभार, संपत्ति कर या कोई भी अन्य बकाया जो बेची जाने वाली संपत्ति से संबंधित है इस हेतु उत्तरदायी नही होगा। नीलामी क्रेता यदि कोइ है तो, बकायों का पता लगाने हेतु मात्र उत्तरदायी होगा तथा इसका भुगतान अकेले क्रेता द्वारा ही किया जाएगा। सिकॉम किसी भी ऐसे बकायों या प्रभारों तथा उनके भुगतान हेतु गैर प्रकटीकरण के लिये उत्तरदायी नही होगा।
9. प्राधिकृत अधिकारी को निविदा स्वीकृत या निरस्त या बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित करने/आगे बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. विक्रय सिकॉम के पुष्टिकरण पर निर्भर होगा।
11. संपत्तियों का निरीक्षण दिनांक 27.01.2017 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे के मध्ये पूर्व समय लेकर ही किया जा सकता है।
12. प्रस्तावो को जमा करवाने की अंतिम तिथि एवं समय 21.02.2017 दोपहर 01:00 बजे तक (सिकॉम के मुम्बई कार्यालय) है।
13. उच्चतम बोली की स्वीकृति सिकॉम लिमिटेड के अनुमोदन पर निर्भर होगी।
14. यह सरफेसी अधिनियम तथा नियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त कथित ऋण खाते के ऋणी/जमानतदारों को नीलामी बिक्री किये जाने का नोटिस भी है।
15. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त निविदाए दिनांक 21.02.2017 को दोपहर 02:00 बजे (सिकॉम के मुम्बई कार्यालय) खोली जाएंगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलीयों को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा।

अन्य विवरण हेतु तथा विक्रय की नियमों व शर्तों के लिये कृपया 1) श्री संजय कुमार (011) 23736738, मोबाईल नं. 9868020160, 2) श्री ललित गंगवार (022) 66572792 मोबाईल नं. 9930682451, 3) श्री शत्रुघ्न (022) 6657 2853 मोबाईल नं. 9869900073 से संपर्क करें।

ऋणी/जमानतदार को नोटिस

यह ऋणी/जमानतदार को उपरोक्त कथित खाते में सूचना है। कृपया यह सूचित रहे कि आपने सिकॉम द्वारा दी गई उपरोक्त वर्णित अग्रिम के संदर्भ में बकाया राशियों तथा मासिक शेष पर ब्याज, लागतों एवं खर्चों इत्यादि का भुगतान करने में चूक की है यतः सिकॉम ने आप सब को धारा 13(2) के अंतर्गत 60 दिनों के भीतर उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने हेतु मांग सूचना निर्गमित की थी आप 60 दिनों के उपरान्त भी राशि का भुगतान करने में असफल रहे है। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 03 मई 2016 को उपरोक्त वर्णित खाते में प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया था। सिकॉम को संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने हेतु उप आयुक्त गुरू ग्राम का आदेश प्राप्त हो चुका है।

आपको यह सूचना दी जाती है कि आप उपरोक्त वर्णित राशि का विक्रय की निश्चित दिनांक से पूर्व भुगतान कर देवे इसमें चूक होने पर संपत्ति बेच दी जाएगी तथा यदि कोई राशि बकाया है तो वह आपसे ब्याज व लागत सहित वसूल की जाएगी। कृपया सूचित रहे कि मांग सूचना, कब्जा लेने, मुल्यांकन तथा विक्रय इत्यादि से संबंधित समस्त खर्चे सर्वप्रथम विक्रय आगम से घटाये जाएंगे जो कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वसूला जाएगा तथा विक्रय आगम का शेष आपके कथित दायित्वों के साथ समायोजित किया जाएगा। आपको प्रस्ताव तथा धरोहर राशि के साथ जोकि सार्वजनिक नीलामी सूचना की नियम व शर्तों में विनिर्दिष्ट है के साथ नीलामी में भाग लेने की स्वतंत्रता है।

हस्ताक्षर/- प्राधिकृत अधिकारी, सिकॉम लिमिटेड

स्थानः मुम्बई, दिनांक : 16.01.2017